न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भुसावर (भरतपुर)

पीठासीन अधिकारी :— सचिन यादव (आर.ए.एस.)

प्रकरण सख्याः 13/24 दायर दिनांकः 30.08.2024

जीसीएमएस नं. 2024/80

काडूराम पुत्र श्री भम्बल जाति मीना नि. झारौटी तह. भुसावर जिला भरतपुर राज.

—प्रार्थी

बनाम

राज. सरकार जरिये तहसीलदार, भुसावर जिला भरतपुर राज.

—अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136
राज. भू—राजस्व अधिनियम 1956
अधिवक्ता— 1.श्री शान्ति स्वरूप शर्मा —प्रार्थी
2.पैरोकार सरकार

निर्णय दिनांक 30.08.2024

प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 133 व 136 एल.आर.ए. के तहत पेश किया गया। जिसका संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि आ.ख.नं. 593 रकबा 1.23, 614 रकबा 0.49, 615 रकबा 0.01 किता 03 कुला रकबा 1.73 हैक्टे. के 1/5 हिस्सा व आ.ख.नं. 608 रकबा 0.61, 609 रकबा 0.01, 610 रकबा 0.14, 612 रकबा 0.77 किताा 04 कुल रकबा 1.53 हैक्टे. के 1/2 हिस्सा वाके ग्राम बवेखर तह. भुसावर जिला भरतपुर का प्रार्थी काविज काश्तकार एवं खातेदार है।

उक्त वर्णित आराजीयात में प्रार्थी का नाम काडूराम के स्थान पर राजस्व कर्मचारियों द्वारा सहवन गलती से कारू दर्ज कर दिया है। जबकि प्रार्थी का वास्तविक नाम काडूराम है तथा प्रार्थी के समस्त दस्तावेजात राशन कार्ड, आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र आदि में भी काडूराम सही नाम दर्ज होता चला आ रहा है तथा अन्य खातेदारी की आराजी खाता संख्या 287, 153 वाके ग्राम झारौटी में भी प्रार्थी का नाम काडूराम सही नाम दर्ज चला आ रहा है। जबकि प्रार्थी का नाम उक्त वर्णित आराजीयात में कारू दर्ज रहने से प्रार्थी अपनी खातेदारी की आराजी के बाबत राज्य/केन्द्र सरकार द्वारा प्रदत्त आर्थिक सहायताओं से भी वंचित हो रहा है और उक्त आराजी पर कृषि सुधार ऋण भी नहीं ले पा रहा है। प्रार्थी अपने गलत नाम को दुरूस्त कराने के लिए कई बार अप्रार्थी के कार्यालय में गया और नाम दुरूस्त करने का निवेदन किया। लेकिन अप्रार्थी हमेशा प्रार्थी को टालमटोल करते हुए वापिस कार्यालय से लौटा दिया जाता रहा है।

प्रार्थी द्वारा निवेदन किया गया है कि उपरोक्त विवादित आराजीयात में प्रार्थी का गलत नाम कारू को दुरूस्त कर सही नाम काडूराम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किया जावें।

हमने प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी की तलवी जरिये रजिस्टर्ड डाक द्वारा की गई। नोटिस की ताईद में तहसीलदार, भुसावर द्वारा जवाब प्रस्तुत किया गया।

हमने बहस प्रार्थी अधिवक्ता पर मनन किया गया तथा पत्रावली एवं इसमें प्रस्तुत दस्तावेजी रिकॉर्ड जैसे नकल जमाबंदी, आधार कार्ड, राशन कार्ड, पैन कार्ड, जन आधार कार्ड आदि का अवलोकन किया गया। उक्त के आधार पर हम प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित समझते है।

अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार, भुसावर को आदेशित किया जाता है कि आ.ख.नं. 593, 614, 615, 608, 609, 610, 612 वाके ग्राम बवेखर में प्रार्थी का नाम कारू के स्थान पर सही नाम काडूराम दुरूस्त राजस्व रिकॉर्ड किया जावें।

निर्णय आज दिनांक 19.07.2024 को लिखाया जाकर खुले इजलास सुनाया गया।

(सचिन यादव)
उपखण्ड अधिकारी,
भुसावर (भरतपुर)